

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

19.05.25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उप०
न्यायालय समय में अधिवक्ता वादी एवं वकील
के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार
आवाज लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता
वादी एवं वकील अपने वाद को लेकर गंभीर
नहीं हैं।

लिहाजा वादी का वाद 'अदम पैरवी' व
'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है।

पत्रावली फैंसल शुमार होकर दारिखत दफ्तर
हो व नंबर से कम हो।

19/05/25
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) वाइमेर

सेवामें.

